<u>महत्वपूर्ण/ई–मेल</u>

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, तथा मेरठ
विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, लखनऊ दिनांकः 27 **जुलाई, 2023**

विषयः उत्तर प्रदेश ट्रांज़िट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के अधीन टी0ओ0डी0 कॉरिडोर्स हेतु चिन्हित टी0ओ0डी0 जोन्स के अन्तर्गत टी0ओ0डी0 परियोजनाओं के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या–2120/आठ–3–22–198 विविध/14, दिनांक 24.08.2022 के द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के अन्तर्गत टी0ओ0डी0 कॉरिडोर्स हेतु टी0ओ0डी0 जोन्स (इन्फ्लुएन्स जोन्स) को सम्बन्धित नगर की महायोजना पर अंकन तथा जोनल प्लान तैयार किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा की जा रही है।

2– उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022 के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत पुनः शासनादेश संख्या–आई/345854/2023/8–3099/187/2020 दिनांक 07.07.2023 द्वारा टी0ओ0डी0 जोन्स के जोनल डेवलपमेन्ट प्लान के पूर्व अनुमोदन की अनिवार्यता को शिथिल करते हुये सम्बन्धित अभिकरण द्वारा चिन्हांकित किये गये टी0ओ0डी0 जोन्स के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेंट नीति, 2022 के प्राविधानों के अनुसार निर्माण/विकास अनुज्ञा के निर्देश इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान किये गये हैं कि इन्हे जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स में यथावत समायोजित किया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थल के पोटेन्शियल के आधार पर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में न्यूनतम 01 लाख वर्ग मी0 तल क्षेत्रफल के टी0ओ0डी0 प्रोजेक्ट्स चिन्हित कराते हुये इनका कियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इस कार्य में निजी विकासकर्ताओं एवं अन्य शासकीय विभागों, जिनकी भूमि टी0ओ0डी0 जोन्स के अन्तर्गत आ रही है, उनसे विचार–विमर्श किया जाये तथा सम्बन्धित ट्रांजिट अभिकरण से भी सहयोग प्राप्त किया जाए।

4– इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना प्रत्येक माह की 04 तारीख तक निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को निरन्तर उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by अरूणेश कुमार
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
Date: 27-07-2023 10:12:57
संयुक्त सचिव।
Reason: Approved

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लखनऊ।

3. प्रबन्ध निदेशक, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रान्सपोर्ट, नई दिल्ली।

4. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में विकास प्राधिकरणों से प्राप्त रिपोर्ट संकलित कर समेकित सूचना शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।